

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- डॉ०कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या-77/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. श्री कैलाश पुत्र मनीराम, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम टाकरदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कौशल्याबाई पुत्री मनीराम, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम टाकरदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गोपाल पुत्र मनीराम, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम टाकरदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. श्री बालूराम पुत्र मनीराम, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम टाकरदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. मांगीबाई पुत्री मनीराम, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम टाकरदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. खाना पुत्र भंवरलाल धाकड़ जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. नारायण पुत्र भीमा धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा,, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

.....विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित :- श्री अर्जुन सिंह

अप्रार्थीगण की ओर से :- अप्रार्थी सं० 01,02 एकतरफा

अप्रार्थी सं० 03 परोकार सरकार।

दिनांक:- 04.11.2025

—:आदेश:-

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा टाकरदा, प०ह० तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 39 खसरा संख्या 253/830, 317, 399/829, 402/828 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 1.0700 हैक्टेयर कुल लगानी 19.7700 पै० भूमि प्रार्थीगण के नाम सह खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 253/830, 317, 399/829, 402/828 के पड़ोसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।



पत्रावली पर अप्रार्थीगण पेरोंकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा टाकरदा, प0ह0 तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्मत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 39 खसरा संख्या 253/830, 317, 399/829, 402/828 कुल किता 04 कुल रकबा 1.0700 हैक्टेयर कुल लगानी 19.7700 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीगण से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़